बिहार स्टेट मिल्क को–ऑपरेटिव फेडरेशन लि0
डेयरी डेवलॉपमेंट कॉम्पलेक्स,
पो0–बिहार भेटनरी कॉलेज, पटना 800014
दूरभाषः–0612–2224083,2228953,2228347 फैक्स न0–0612–2228306
वेब साईट **www.** sudha. coop

सुधा दुग्ध जन्य उत्पादों के दो पथों हेतु योग्य वितरक निविदा आमंत्रण सूचना

बिहार स्टेट मिल्क को–ऑपरेटिव फेडरेशन लि0 (कॉम्फेड) पटना से सम्बद्ध दुग्ध संघों द्वारा उत्पादित सुधा दुग्ध जन्य उत्पादों का पटना शहर एवं निकटवर्ती क्षेत्रों के अन्तर्गत दो पथों में वितरण के लिए इच्छुक व्यक्तियों एवं संस्थानों जिन्हे खाद्य पदार्थों अथवा एफ.एम.सी.जी उत्पादों के वितरण का कम से कम तीन वर्षो का अनुभव प्राप्त हो से विहित प्रपत्र में निविदा आमंत्रित की जाती है । निविदा के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी कॉम्फेड के वेबसाइट **www.** sudha. coop पर देखा जा सकता है।

निहित निविदा प्रपत्र बिहार स्टेट मिल्क को–ऑपरेटिव फेडरेशन लि0, डेयरी डेवलॉपमेंट कॉम्पलेक्स, पो0–बी0 भी0 कॉलेज पटना–14 के कार्यालय से दिनांक 19.01.2019 को 3 बजे अपराह्न तक प्राप्त किया जा सकता है। निविदा का विहित प्रपत्र कॉम्फेड के वेबसाइट (www.sudha.coop) भी से उसे प्राप्त किया जा सकता है ।

निविदा में सम्मिलित होने के लिए निम्नलिखित योग्यता का होना आवष्यक है :–

(क) षीघ्र खराब होने वाले खाद्य सामग्री या एफ.एम.सी.जी. (FMCG) सामग्री के वितरक के रूप में न्युनतम तीन वर्षो का अनुभव।

(ख) कुल लागत पुंजी जो व्यवसाय में लगा सकते है के सम्बध में वित्तीय स्थिति/साख से सबंधित न्युनतम पॉच लाख रू0 बैंक सॉलभेन्सी प्रमाण पत्र अथवा पॉच लाख के फिक्सडिपोजिट के प्रमाण–पत्र का छायाप्रति ।

(ग)
1. पैन नंम्बर (प्रमाण पत्र की छायाप्रति साथ)
2. जी0एस0टी नम्बर (प्रमाण पत्र की छायाप्रति साथ)
3. फुड लाइसेन्स नंम्बर (प्रमाण पत्र के साथ)
4. इन्सुलेटेड गाड़ी का विवरण (कागजात के साथ)

(घ) अग्रधन की राषि के मद में 50,000 रू0 का बैंक डाफ्ट् ।

भरे हुए पूर्ण निविदा प्रपत्र मुहरबंन्द लिफाफे में जिस पर **दुग्ध उत्पाद वितरक हेतु, आवेदित पथ का नाम एवं निविदाता का नाम पूर्ण पत्ता** लिखा हो दिनांक 21.01.2019 को 05.00 बजे अपराह्न तक स्वीकार किया जाएगा । प्राप्त/स्वीकार निविदा को दिनांक 22.01.2019 को 11.30 पूर्वाहन् में निविदादाताओं या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में गठित समिति के द्वारा खोला जाएगा। अद्योहस्ताक्षरी को बिना कोई कारण बताये प्राप्त निविदाओं को पूर्ण या आंशिक रूप से रदद् एवं वितरण क्षेत्रों में परिवर्त्तन/विस्तार/कटौती करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा ।

प्रबंध निदेशक ।